न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 91/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 29.3.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामचरण आत्मज उद्धा जाति चमार निवासी ग्राम नोताडा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 2/2018 (प्रा0 पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा बनाम रामचरण पुत्र उद्धा जाति चमार नि0 नोताडा तह0 दीगोद जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 3.11.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) सपठित राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1994 संशोधित अधिनियम 1957 के अन्तर्गत रामचरण आ0 उद्धा जाति चमार निवासी नोताडा को जरिये मिसल नम्बर 135 दिनांक 19.6.1989 को ग्राम नोताडा की खसरा नम्बर 108 रकबा 1.00 है0 भूमि कीमतन आवंटित की जाकर दखल दिया गया। आवंटी द्वारा निर्धारित समयावधि मे कीमत जमा राज नही कर आवंटन शर्तो का उल्लधंन करने तथा गैरखातेदारी अवस्था मे श्री हेमराज उर्फ पप्पू आ0 बाबूलाल जाति गूर्जर निवासी नोताडा को 3,12,000/–मे दिनांक 5.5.2008 को बेचान कर कब्जा संभला दिये जाने से उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटी द्वारा उक्त भूमि विक्रय के पश्चात भूमि की कीमत जमा राज की है जो क्रेता द्वारा आवंटी के नाम से जमा राज कर राज0 सरकार को धोखा देकर खातेदारी प्राप्त करने की नियत से किया गया है जो अवैध होने से तहसीलदार दीगोद द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधि0 1954 संशोधित अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.11.2021 को स्वीकार कर आवंटन आदेश 19.6.1989 निरस्त कर तहसीलदार दीगोद को भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.11.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही 32 वर्ष बाद बिना किसी आधार एंव तथ्य के आवंटन आदेश दिनांक 19.6.1989 निरस्त कर त्रुटि की है। आवंटन के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का

श्रृवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अपीलांट द्वारा दिनांक 5.5.2008 का कोई बेचाननामा आलेखित नही किया गया। बेचाननामा त्रुटिपूर्ण व असत्य होने से अपीलांट द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया गया तथा न्यायालय मे वाद पेश किया गया जिसमे हेमराज वल्द पप्पू द्वारा अपनी गलती होना मानने पर अपीलांट द्वारा उक्त कार्यवाही वापस ली गई जिससे साबित है कि वर्णित आराजी पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे बेचाननामा को आधार मानकर आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। कानून 3 वर्ष बाद ही खातेदारी प्राप्त होती है किन्तु 32 वर्ष बाद अपीलांट खातेदारी प्रापत करने का अधिकारी होने के बाद भी बिना किसी आधार एंव तथ्य के आवंटन को खाारिज किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की नियमित पालना की है कोई राशि बकाया नही है अपीलांट भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा आवंटित आराजी पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है अपीलांट द्वारा तहसीलदार दीगोद मे गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर बिना किसी आधार एंव तथ्य के आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कब्जा बावत साक्ष्य व शपथ पत्र कब्जा का गुणावगुण पर अवलोकन नही किया इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया कि इकरारनामा से किसी प्रकार के अधिकार एंव स्वत्व ना तो प्राप्त होते है और ना ही ट्रांसफर होते है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इकरारनामे की जांच भी नही की। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 3.11.2021 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का आवंटन बहाल किया जाकर अपीलांट को खातेदारी प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 19.6.1989 कीमतन भूमि का आवंटन किया गया था जिसे 32 वर्ष बाद अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा बिना किसी आधार एंव तथ्य के निरस्त कर वैधानिक त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा दिनांक 5.5.2008 का कोई बेचाननामा आलेखित नही किया। बेचाननामा त्रुटिपूर्ण व असत्य होने से अपीलांट द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया तथा न्यायालय मे वाद पेश किया गया जिसमे हेमराज वल्द पप्पू द्वारा अपनी गलती होना मानने पर अपीलांट द्वारा उक्त कार्यवाही वापस ली गई जिससे साबित है कि भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे बेचाननामा को आधार मानकर आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कब्जा बावत साक्ष्य व शपथ पत्र का गुणावगुण पर अवलोकन नही किया इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया कि इकरारनामा से किसी प्रकार के अधिकार एंव स्वत्व ना तो प्राप्त होते है और ना ही ट्रांसफर होते है। इकरारनामे की जांच भी नही की। बहस मे आगे बताया कि अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है कोई राशि बकाया नही है अपीलांट भूमिहीन अनुसूचित जाति का सदस्य है कानून 3 वर्ष बाद ही खातेदारी प्राप्त हो जाती है अपीलांट ने तहसीलदार दीगोद मे गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र किया था किन्तु खातेदारी नही देकर 32 वर्ष बाद आवंटन को ही निरस्त कर दिया गया जो अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण है। अन्त मे अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 3.11.2021 निरस्त किया करने तथा अपीलांट का आवंटन बहाल कर खातेदारी दी जाने का कथन किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि आवंटी को कीमतन आवंटन की गई थी परन्तु उसके द्वारा आवंटन की राशि जमा नही करवाई गई। और किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दी गई। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लधंन किया गया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन को निरस्त करने का जेरअपील निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार (रेस्पो0) पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से

प्रकट होता है कि राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) सपठित राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1994 संशोधित अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अपीलार्थी रामचरण को जरिये मिसल नम्बर 135 दिनांक 19.6.1989 को ग्राम नोताडा की खसरा नम्बर 108 रकबा 1.00 है0 भूमि कीमतन आवंटित की जाकर दखल दिया गया। आवंटी द्वारा निर्धारित समयावधि मे कीमत जमा राज नही कर आवंटन शर्तो का उल्लधंन करने तथा गैरखातेदारी अवस्था मे श्री हेमराज उर्फ पप्पू आ0 बाबूलाल जाति गूर्जर निवासी नोताडा को 3,12,000/–मे दिनांक 5.5.2008 को बेचान कर कब्जा संभला दिये जाने से उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटी द्वारा उक्त भूमि विक्रय के पश्चात भूमि की कीमत जमा राज की है जो केता द्वारा आवंटी के नाम से जमा राज कर राज0 सरकार को धोखा देकर खातेदारी प्राप्त करने की नियत से किया गया है जो अवैध होने से तहसीलदार दीगोद द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधि0 1954 संशोधित अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.11.2021 को स्वीकार कर आवंटन आदेश 19.6.1989 निरस्त कर तहसीलदार दीगोद को भूमि राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने का आलोच्य जेरअपील निर्णय पारित किया है।

6 हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलांट को दिनांक 19.6.1989 को भूमि का कीमतन आवंटन किया गया था। कीमत/राशि नियत समयावधि मे ही उसके द्वारा जमा करवा दी गई थी। भूमि पर लगातार अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा दिनांक 5.5.2008 को आवंटित भूमि हेमराज उर्फ पप्पू को बेचान नही की तथा ना ही कोई बेचाननामा आलेखित किया। बेचाननामा त्रुटिपूर्ण व असत्य होने से अपीलांट द्वारा फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया तथा न्यायालय मे वाद पेश किया जिसमे हेमराज वल्द पप्पू द्वारा अपनी गलती होना मानने पर अपीलांट द्वारा उक्त कार्यवाही वापस ली गई जिससे साबित है कि भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा आवंटन शर्तो की पालना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कब्जा बावत साक्ष्य व शपथ पत्र का गुणावगुण पर अवलोकन नही किया इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया कि इकरारनामा से किसी प्रकार के अधिकार एंव स्वत्व ना तो प्राप्त होते है और ना ही ट्रांसफर होते है। इकरारनामे की जांच भी नही की।ऐसी स्थिति मे बेचाननामे को आधार मानकर 32 वर्ष बाद अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर आवंटन निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट के उपरोकत कथन की प्रथम दृष्टिया पुष्टि हस्तगत अपील प्रकरण मे उसके द्वारा प्रस्तुत भूमि पर कब्जे के संबध मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा को प्रेषित पत्र दिनांक 30.7.19 मय संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खातेदारी हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, मय शपथ पत्र, चार्ज शीट मय आर्डर शीट विशिष्ट न्यायाधीश अनु0 जाति/अनु0 जन जाति (अ.नि.प्र.) कोटा प्रकरण सं0 49/2016 सरकार बनाम पप्पूलाल उर्फ हेमराज न्यायालय आदेश दिनांक 12.6.2017 की छायाप्रति से होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण नही कर अपीलांट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही लगभग 32 वर्ष बाद आवंटन आदेश दिनांक 19.6.1989 को निरस्त करने मे विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट होता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 3.11.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड (प्रतिप्रेषित) किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा